कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी बुलन्दशहर।

पत्रसंख्याः 01 /सीएफओ – एनओसी(पी0)/12 दिनांकः 16/09/2012

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक
सनराईज ग्लोबल स्कूल
ग्राम मानपुर, बुलन्दशहर।

विषय :– सनराईज ग्लोबल स्कूल, ग्राम मानपुर, बुलन्दशहर के भवन का कुल प्लाट एरिया 9870.00 वर्गमीटर, भू तल कवर्ड एरिया 808.49 वर्ग मीटर प्रथमतल तल कवर्ड एरिया 808.49 वर्ग मीटर, ममटी कवर्ड एरिया 25.64 वर्गमीटर, टोटल कवर्ड एरिया 1642.62 वर्गमीटर शैक्षिक भवन का स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी निरीक्षण आख्या।

सन्दर्भ :– आपका पत्र संख्या शून्य दि0 15.09.2012

कृपया उपरोक्त विषयक एंव सन्दर्भित पत्र के साथ प्राप्त मानचित्र के अनुसार मेरे द्वारा दिनांक 16.09.2012 को निरीक्षण किया गया तो स्थल अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षित है। भवन के अन्दर सभी स्थाई इन्सटा लेशन व वाहरी सुरक्षा व्यवस्था हेतु अग्निनिवारण और अग्निसुरक्षा अधिनियम–2005 व नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट–4 फायर एण्ड लाईफ सैफ्टी की टेबिल–23 के ग्रुप बी ऐजुकेशनल बिल्डिंग में निहित अग्निशामक प्राविधानुसार जैसे फायर एक्सटिग्यूशर्स स्थापित है। अतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित किया जायेः–

1. स्कूल भवन में ज्वलनशील तथा विषैले पदार्थो को यथासम्भव मुक्त रखना होगा, यदि आवश्यक हो तो इस प्रकार के पदार्थो को स्कूल भवन से दूर सुरक्षित स्थान पर भण्डारित किया जाये।
2. स्कूल भवन की सीढ़ियों का निर्माण एनबीसी–2005 के प्राविधान के अनुसार है।
3. स्कूल भवन में एनबीसी–2005 के अनुरूप प्रवेश के व निकास एवं स्कूल रूम के दरवाजों का निकास सुनिश्चित किया जाये।
4. स्कूल भवन में किंचन एवं गतिविधियॉ शामिल है तो स्कूल के मुख्य भवन से सुरक्षित स्थान पर मानकों के अनुरूप रखा जाये।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बुलन्दशहर

5. स्कूल भवन में किंचन एवं एल0पी0जी0 गैस का प्रयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप किय जाये तथा एल0पी0जी0 गैस के सिलेण्डर के प्रयोग के पश्चात सिलेण्डर एवं बर्नर के वाल्व अवश्य बन्द किये जाये।
6. स्कूल भवन में कार्यरत समस्त स्टाफ एवं समस्त छात्रों को अग्निशमन यन्त्रों एवं जीवरक्षा उपायों आपातकालीन निष्क्रमण योजना इत्यादि के अनुसार कार्य करने का ज्ञान एवं लगातार अभ्यास कराये जाये।

7. स्कूल भवन में प्रयोगशाला ज्वलनशील एवं विषैले प्रदार्थो का प्रयोग उनके गुण दोष के अनुसार प्रशिक्षक के निर्देश के अुनसार किया जाये।

8. स्कूल भवन में सभी निकास मार्गो की जानकारी अवश्य रखी जाये।

9. आग के आकस्मिक दुर्घटना होने पर स्कूल भवन में उपलब्ध प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों एवं अन्य उपकरणों के आग बुझाने का प्रयास किया गया तथा स्थानीय फायरसर्विस/पुलिस स्टेशन/जिला प्रशासन से सहायता हेतु टेलीफोन के माध्यम से तत्काल सूचित जाये।

10. स्कूल भवन में भवन निर्माण विकास उपविधि–2008 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

11. भवन में नियमानुसार सैटवैक है।

भवन में अग्निसुरक्षा प्रणाली हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के पार्ट 3 व 4 का पालन सुनिश्चित किया जाये यदि इसमें किसी प्रकार का डेवियेशन किया जाता है तो निर्गत पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्रत्येक समय कार्यशील दशा में रखेगे व शासनादेश के अनुसार उपकरणों की रिफलिंग/टैस्टिंग फीस प्रत्येक वर्ष राजकीय कोष में जमा करायेगे तथा नवीनीकरण प्रमाण–पत्र इस कार्यलय से प्राप्त करेंगे।

अतः उक्त अनुबन्धों के आधार पर उक्त शैक्षिकभवन को स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी अग्निशमन की निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्न :– मानचित्र

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बुलन्दशहर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
बुलन्दशहर